

14.8.24

पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित प्रकार में वकील प्रार्थी कायम मुकाम प्रायत्र पेश करने का अवसर चाहते हैं अवसर पूर्व में इस निर्देश के साथ दिया गया था कि आईन्दा पेशी पर प्रायत्र पेश नहीं किया गया तो प्रायत्र 0.9.R.05 CPC में खारीज कर दिया जावेगा। किन्तु इस निर्देश के बावजूद भी कायम मुकाम प्रायत्र पेश नहीं किया गया। अतः प्रार्थनापत्र अ-ध. 128 LRA का आदेश 09 नि.05 जादी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल नुमा होकर नाम्बर के काम हो।

५५